दिनांक 21.05.2020

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

अतिरिक्त निर्माण करने वाले पर निगम की टीम ने की कार्यवाही, अनुमति से ज्यादा जगह पर बना रहा था मकान

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध निगम प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है! लॉक डाउन का फायदा उठाकर प्राप्त अनुमति से तीन गुना अधिक जमीन पर अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ आज अतिरिक्त निर्माण को हटाने की कार्यवाही की गई। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुुवंशी ने अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है जिस पर जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि ने कार्यवाही की है। जोन क्रमांक 02 वैशालीनगर क्षेत्र अंतर्गत घासीदास नगर में रविन्द्र वर्मा नामक व्यक्ति द्वारा अनुमति से अधिक जगह पर अतिक्रमण करते हुए निर्माण करते पाए जाने पर अतिरिक्त निर्माण के दीवार को ढहाने की कार्यवाही की गई। जोन 02 के एआरओ संजय वर्मा ने बताया कि अतिक्रमण कर्ता व्यक्ति को उसके भूखंड पर 164 स्क्वेयर फीट पर मकान बनाने अनुमति दी गई थी , लेकिन उसने तीन गुना अधिक करीब 600 स्क्वेयर फीट जमीन पर मकान बनाते हुए अतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया , जिसकी सूचना मिलते ही जोन 02 के उप अभियंता निकहत सबरीन, अनिल शुक्ला सहित राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दस्तावेजों का निरीक्षण करते हुए चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल बंद कराया तथा अधिक भूखंड का निर्माण करते हुए पाए जाने पर अतिरिक्त निर्माण को हटाने की कार्यवाही की।